**निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर**

**प्रकरण संख्या 122/2019** (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स आर आर एल कलस्टर, जयपुर । प्रार्थी

बनाम

ममता अग्रवाल पत्नी श्री रवि परिहार

40, लक्ष्मीनगर प्रथम, निवारू रोड, जयपुर एवं

6–ए, अशोक नगर, निवारू रोड, श्रीराम मैरिज गार्डन के पास, झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:–श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

निर्णय दिनांक 3-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 15.06.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती ममता अग्रवाल के नाम पंजीकृत वाहन संख्या Logd DCI RXL-110PS रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 14-TD-4744 को हाईपोथीकेटेड कर कुल रूपये 9,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.02.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड उक्त वाहन का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी के सुयोगय अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.02.2017 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः पंजाब केसरी एवं दी इकोनोमिक टाईम्स में दिनांक 08.08.2018 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नही कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रो की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त

शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्रीमती ममता अग्रवाल के नाम पंजीकृत वाहन संख्या Logd DCI RXL-110PS रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 14-TD-4744 का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. उक्त आदेश आज दिनांक 3-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

( जगरूप सिंह यादव )
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर